



# कार्यालय आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड बाडमेर

क्रमांक :- 1726

दिनांक :- 9/1/15

## आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की जिला आवंटन समिति, बाडमेर की बैठक दिनांक 28.01.2016 को दोपहर 3.30 बजे कार्यालय आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, सी.सी. रोड, इन्द्रा कॉलोनी बाडमेर के कक्ष में निश्चित की गई है। उक्त बैठक में बाडमेर आवासीय योजना मगरा में आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के (जी+3) बहुमंजिले फ्लेट हेतु सामान्य पंजीकरण योजना 2002, 2003 एवं विशिष्ट पंजीकरण योजना 2013 के आवेदकों की निर्धारित वर्गवार वरियता के आधार पर फ्लेटों का आवंटन नियमानुसार किया जायेगा। बाडमेर आवासीय योजना मगरा के आवासों (फ्लेटों) का आवंटन उन्ही आवेदकों को किया जायेगा जिन्होंने आरक्षण पत्र के अनुसार पूर्व ग्रहण राशि की कम से कम एक किश्त दिनांक 21.01.2016 तक जमा कराकर चालान की सत्यापित छाया प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर दी है। दिनांक 21.01.2016 के पश्चात जमा कराई गई पूर्व ग्रहण राशि के आवेदकों को लॉटरी में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। आवेदकों को आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अल्प आय वर्ग के (जी+3) बहुमंजिले फ्लेटों का आवंटन लॉटरी का निर्धारण राजस्थान सरकार के राजकॉम्प के माध्यम से कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

– : बाडमेर आवासीय योजना मगरा में फ्लेटों की आवंटन लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम :-

क्र.सं.	लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम	दिनांक एवं समय
1	आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 11.01.16 साँय 5.00 बजे
2	आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 21.01.16 साँय 6.00 बजे
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 22.01.16 साँय 5.00 बजे
4	लॉटरी की तिथि	दिनांक 28.01.16 दोपहर 3.30 बजे

नोट :-

1. निर्धारित तिथि तक आक्षेप प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में मण्डल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
2. उपलब्ध आवासों (फ्लेटों) का आवंटन वरियतानुसार किया जायेगा।
3. जिन्होंने देय किश्ते जमा करवाकर चालान की फोटो प्रति कार्यालय में 21.01.2016 तक प्रस्तुत कर दी है उन्हे ही लॉटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
4. आवासों का आवंटन पंजीकरण की वरीयतानुसार किया जायेगा।
5. पूर्व ग्रहण राशि जमा नहीं कराने से यदि वरीयता क्रम भंग होता है तो इसमें मण्डल का कोई दायित्व नहीं होगा।
6. सम्पति निस्तारण हेतु मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

(सांवलाराम)

आवासीय अभियन्ता  
राजस्थान आवासन मण्डल  
खण्ड बाडमेर